संख्या: 197 /2023/ 1474 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 19 मई, 2023

विषय: जनपद वाराणसी में संत कबीर संग्रहालय के निर्माण की परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1504/उ0प्र0सं0नि0-1(176)/2022-23, दिनांक 03 फरवरी, 2023 के संदर्भ में शासनादेश संख्या- 183/2023/ 1042/चार-2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा जनपद वाराणसी में संत कबीर संग्रहालय के निर्माण कार्य में सम्मिलित उच्च विशिष्टयों के कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में प्रायोजना प्रस्ताव में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के सापेक्ष सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के कार्य / कार्य मदों पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में संत कबीर संग्रहालय के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव (प्रस्तावित लागत रू0 2496.46 लाख) के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रूपये 2468.57 लाख (रूपये चौबीस करोड़ अड़सठ लाख सत्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 550.00 लाख (रूपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 183/2023/ 1042/चार-2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना में निहित ऐसी कार्यमदें जो कि लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वर्ष 2022 की दर अनुसूची में नहीं है तथा जिनको बाजार दरों/कोटेशन पर आधारित किया गया है, को इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। इन दरों को न्यूनतम एवं वास्तविक दरों पर कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संग्रहालय निदेशालय /कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, संग्रहालय निदेशालय / कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो ।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रारम्भ कराया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय ।

(8) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

(9) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत स्वीकृति संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा।

(12) उक्त धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। राजस्व पक्ष से संबंधित व्यय का भुगतान पूंजीगत पक्ष से न करके राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक के संगत मद में उपलब्ध प्राविधान से सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) उक्त परियोजना हेतु मदवार मूल्यांकित लागत का विवरण संलग्न है।

3. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106- संग्रहालय -89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश- 8902- संत कबीर संग्रहालय, वाराणसी- 24 वृहत् निर्माण कार्य मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7- 8 /दस-2023-24, दिनांक 03 मई, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 197 /2023/ 1474 (1) /चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(लागत रु0 लाख में)

S. No.	Item	AS PROPOSED		AS PER PFAD	
1	SANT KABIRDAS MUSEUM				
a	CIVIL WORK	979.44	Lacs	978.26	-1.18
b	WATER SUPPLY & SANITARY	23.29	Lacs	23.29	0.00
c	ELECTRICAL WORK	82.55	Lacs	82.45	-0.10
d	FIRE FIGHTING WORKS	56.66	Lacs	56.58	-0.08
2	SITE DEVELOPMENT WORKS				
a	RAINWATER HARVESTING	11.34	Lacs	11.34	0.00
b	SUBMERSIBLE PUMP WITH BORING	6.68	Lacs	6.63	-0.05
c	EXTERNAL WATER SUPPLY WORKS	0.94	Lacs	0.94	0.00
d	EXTERNAL SEWERAGE WORKS	2.59	Lacs	2.59	0.00
e	SEPTIC & SOAK PIT (50 USERS)	1.76	Lacs	1.76	0.00
f	STREET LIGHT POLE WORK	3.01	Lacs	3.01	0.00
g	ESS WORK	26.53	Lacs	26.05	-0.48
h	D.G. SET	12.34	Lacs	0	-12.34
i	LIFT	15.38	Lacs	0	-15.38
j	VRV/ VRF WORK	119.50	Lacs	0	-119.50
k	CCTV WORK	27.62	Lacs	0	-27.62
l	SIGNAGES	6.61	Lacs	6.47	-0.13
3	COST OF INTERIOR WORKS				
a	COST OF GALLERIES INTERIOR	535.60	Lacs	524.89	-10.71
b	COST OF (ADMIN. BLOCK)	24.09	Lacs	23.61	-0.48
	TOTAL	**1935.93**	**Lacs**	**1747.88**	-188.05
	Contingencies 1% on Total	19.36	**Lacs**	17.48	-1.88
	TOTAL COST OF CIVIL WORKS	**1955.29**	**Lacs**	**1765.36**	**-189.93**
1	Less 5% due to working by Dept.	-97.76	Lacs	-88.27	9.49
	Total - A	**1857.53**	**Lacs**	**1677.09**	**-180.44**
2	Add Centage Charges @12.5% on Total A	232.19	Lacs	209.64	-22.56
	Total - B	**2089.72**	**Lacs**	**1886.73**	**-203.00**
3	Labour Cess @1% on Total A	18.58	Lacs	16.77	-1.81
4	G.S.T. @18% on Total B	376.15	Lacs	339.61	-36.54
5	External Electrical Service Connections	4.00	Lacs	8.00	4.00
6	External Civil Service Connections	8.00	Lacs	12.00	4.00
	GRAND TOTAL A	**2496.46**	**Lacs**	**2263.11**	**-233.35**
7	D.G. SET (125 KVA)	0.00	Lacs	12.12	12.12
8	LIFT	0.00	Lacs	15.38	15.38
9	VRV/ VRF WORK	0.00	Lacs	119.50	119.50
10	CCTV WORK	0.00	Lacs	27.12	27.12
	Total	**0.00**		**174.12**	**174.12**
11	G.S.T. @18% on Total A	0.00		31.34	31.34
	GRAND TOTA B	**0.00**	**Lacs**	**205.46**	**205.46**
	TOTAL COST OF PROJECT (A+B)	**2496.46**	**Lacs**	**2468.57**	**-27.89**